2054

149

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 802321

13 FEB 2008

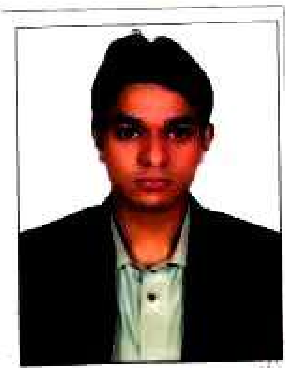

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार	:–	कृषि भूमि
वार्ड / परगना	:–	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला / ग्राम	:–	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर)	:–	खसरा नम्बर 54
मापन की इकाई	:–	हैक्टेयर

सुखवीर

15000x2-30000
1000x4-4000
500x1- 500
100x2 200

16

नं० .... रु 34700/-

स्टाम्प खरीदार का नाम श्री ..... सीता राम बिल्डर्स

पुत्र श्री .... निवासी .....

दिनांक .... वास्ते

13.02.08 [signature] 39 सुपरवाइजरी मुख्तार 34700

कृते वरिष्ठ कोषाधिकारी
कोषागार, मुजफ्फरनगर

द्वारा अमन बंसल लाइसेंसदार

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 802320

13 FEB 2008

सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:–	0.9250 हैक्टेयर का 1/3 भाग यानि 0.3083 है0
सडक की स्थिति	:–	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार	:–	कृषि
पेडों का मूल्यांकन	:–	9500/–रूपये का 1/3 भाग यानि 3167/–रूपये
बोरिंग/कुंआ/अन्य	:–	नहीं है

16 ... रु- 347.20/-

13.02.08

497,000.00/	497,000.00	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती सुखबीर
पुत्र / पत्नी श्री ऐतवारी
पेशा कृषि
निवासी स्थायी शेरनगर मु0नगर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/2/2008 समय 4:25PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
22/2/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती सुखबीर
पुत्र/पत्नी श्री ऐतवारी
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0नगर

श्री/श्रीमती अमन बंसल
पुत्र/पत्नी श्री अजय बंसल
पेशा व्यापार
निवासी 36 इमामबाडा प्रेमपुरी मु0नगर

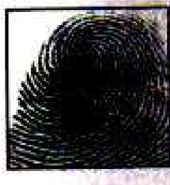

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री पप्पू
पुत्र श्री लायक राम
पेशा मजदूरी
निवासी शेरनगर मु0नगर

व श्री सुबेदीन
पुत्र श्री नत्थू
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0नगर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
22/2/2008

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 831940

-3-

सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:– नहीं है

प्रतिफल की धनराशि	:–	4,97,000/–रूपये
मालियत	:–	4,96,501/–रूपये
निर्धारित दर	:–	16,00,000/–रूपये प्रति है0
स्टाम्प शुल्क	:–	49,700/–रूपये
किस्म जमीन	:–	अव्वल आबी

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प वि[illegible])
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

12 स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-2-08
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]
[illegible] S/o [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 5000
5000 × 3 = 15000 रु०

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2011

विक्रेता

Registration No.: 2054 Year : 2008 Book No. : 1

0101 सुखबीर

ऐतवारी

शेरनगर मु0नगर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 831941

03 कोषागार 19 FEB 2008

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

1–**सुखबीर** पुत्र श्री ऐतवारी निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:– खेती

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता) तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

13 स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-2-08
स्टाम्प की धनराशि 5000
शामिल नम्बर 12 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

क्रेता

Registration No. : 2054 Year : 2008 Book No. : 1

0201 अमन बंसल
अजय बंसल
36 इमाबाडा प्रेमपुरी मु0नगर
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 831942

19 FEB 2008

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

1– श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर व्यवसाय:– व्यापार PAN- ABIFS 7034 H

स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-2-08
स्टाम्प की धनराशि 5000
शामिल नम्बर 12 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प वि[illegible])
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918207

-6-

हम कि **सुखबीर** पुत्र श्री ऐतवारी निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः

सुखबीर

16 347001

13.02.08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918208

13 FEB 2008

प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्वि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन **चार लाख सत्तानवे हजार रूपये (4,97,000/–रूपये)** आधे जिसके अंकन दो लाख अड़तालीस हजार पांच सौ रूपये (2,48,500/–रूपये) होते है बदस्त **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाड़ा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है।

16 34700/-

13-02-08

रोकड़पाल/सहायक रोकड़िया
कोषागार, मुजफ्फरपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918209

13 FEB 2008

-8-

कुल विक्रय मूल्य द्वारा एक किता चैक नम्बरी 342259 विजया बैक मुजफ्फरनगर दिनांक 12—02—2008ई0 प्राप्त कर लिया है इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नही रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल उत्तर की तरफ द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से

16
दिनांक .... प्राप्त
13.02.08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918210

13 FEB 2008

विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वंय या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 12,200/—रूपये होती है। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान

16 347001
13-02-08

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 275202

बाजारी कीमत पर अंकन **4,97,000/– रूपये** में हैं। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नही है। विक्रीत भाग भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 4,93,334/– रूपये होती है तथा विक्रीत भूमि मे 4 पेड आम व 2 पेड शीशम व 1 पेड आमरूद के है जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है तथा जिनकी अधिक से अधिक कीमत अंकन 9500/–रूपये होती हैं, लेकिन भाग भमि के अनुसार कीमत 3167/–रूपये होती है इस प्रकार कुल मालियत अंकन 4,96,501/– रूपये होती है। किन्तु द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अपने महायदे के अनुसार अंकन 4,97,000/– रूपये पर अदा किया

16 347001

दिनांक

13.02.08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 FEB 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 529606

है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नही हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह **विक्रय पत्र** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **शेरनगर** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः– जो कि कृषि भूमि **खसरा नम्बर 54 रकबई 0.9250**

16 347001

13.02.08

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 529607

है0, लगान 45.75 रूपये सालाना किस्म भूमि जंगल अव्वल आबी, का कुल हक व हिस्सा 1 / 3 भाग। मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

साक्षी

साक्षी

तहरीर ता0:–22–02–2008 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:–नरेश कुमार दस्तावेज लेखक, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

अनुज्ञप्ति संख्या 107, विधिमान्य दिनांक 31–03–2009 ई0।

उ0 900 / –

16 347001

दिनांक

13.02.08

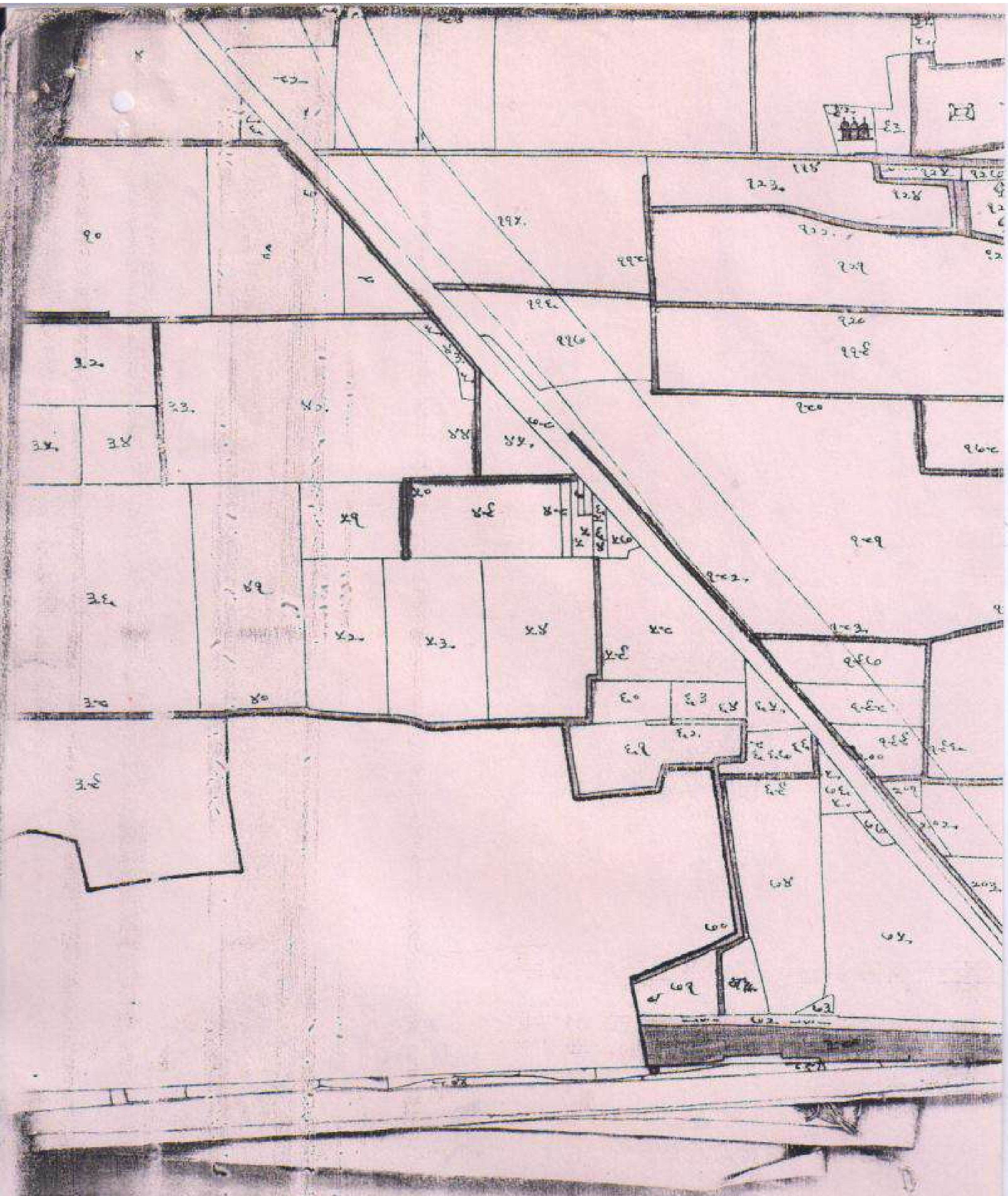

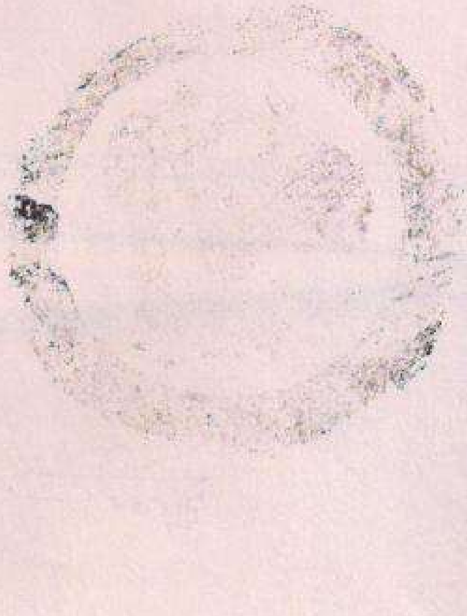

पक्षकार का नाम .... सुखवीर ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ	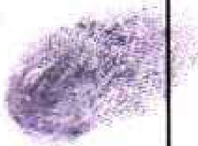		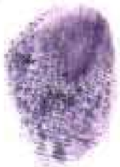		
बाँया हाथ	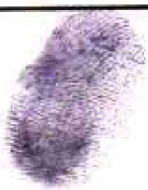		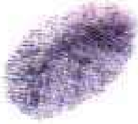	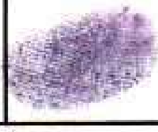	

पक्षकार का नाम .... [illegible] ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ		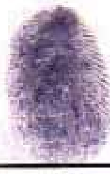	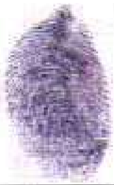	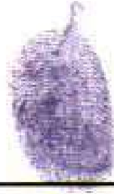	
बाँया हाथ	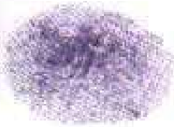		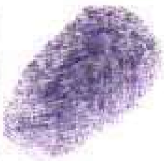		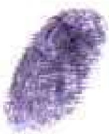

पक्षकार का नाम ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					

176

आज दिनांक **22/02/2008** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **4024**

पृष्ठ सं. **149** से **176** पर कमांक **2054**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अशोक कटारिया

22/2/2008

उक्त सुनाई प्राप्त संख्या 432 ...
... 1-5-10

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद सं0– 62 / 09–10 अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0

मौजा–शेरनगर परगना– मुजफ्फरनगर

श्री सीताराम बिल्डर्स बनाम सरकार

आदेश

श्री सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी सुथराशाही मुजफ्फरनगर ने अपनी भूमि स्थित ग्राम शेरनगर तहसील व जिला मु0नगर खसरा नम्बर–34 / 0–3380है0 व 52 / 0–6410है0 व 53 / 0–7520है0 व 54म / 0–9250है0 का 1 / 3 भाग व 58 / 0–7480है0 का 3 / 4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 20–3–2010 एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनॉक 17–4–2010 प्राप्त हुई। तहसीलदार आख्या के अवलोकन से विदित है कि ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर–34 / 0–3380है0 व 52 / 0–6410है0 व 53 / 0–7520है0 व 54म / 0–9250है0 का 1 / 3 भाग व 58 / 0–7480है0 का 3 / 4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 पर अभिलेखो में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है, तथा मौके पर प्लाटस की निशानदेही व नीव भरने का कार्य शुरू कर दिया हैं। उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य की संभावना नहीं हैं। उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आख्या के साथ हाल खतौनी, जोत चक0 आकार पत्र 41 व 45 की सत्य प्रतिलिपि तथा नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दिनॉक 17–4–2010 में उल्लिखित किया हैं कि उक्त खसरा नम्बरो का भू–उपयोग मुजफ्फरनगर महायोजना–2021 में आवासीय हैं एवं आंशिक भू–भाग पर 45 मीटर चौडा महायोजना मार्ग प्रस्तावित हैं। कान्स्टीटयूट कम्पनी के हित में अकृषक घोषित किये जाने में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

मैने पत्रावली एवं उपलब्ध भूअभिलेखो का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है और उक्त भूमि पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखो में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नही हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 एवं तहसील आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। विकास प्राधिकरण को भी इस भूमि के अकृषक घोषित होने में कोई आपत्ति नहीं हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार की आख्या एवं संस्तुति दिनॉक 20–3–2010 एवं विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनॉक 17–4–2010 के आधार पर ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर–34 / 0–3380है0 व 52 / 0–6410है0 व 53 / 0–7520है0 व 54म / 0–9250है0 का 1 / 3 भाग व 58 / 0–7480है0 का 3 / 4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हों। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद दर्ज कर पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनॉक– 01 –05–2010

(जे0 एस0 मिश्र)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

१–नाम नकल ....
२–नकल ....
३–तुलना ....
४–... प्रस्तुत का 3/5/10
५–नकल तैयारी का 3/5/10
६–नकल वापसी का 3/5/10 ....
७–उजरत (फीस) 12/- ....

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)
प्रशासनिक/ उप जिलाधिकारी सदर, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
उप जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : शेरनगर   परगना : (सदर)   तहसील : सदर   जनपद : मुजफफर नगर   फसली वर्ष : 1425-1430   भाग : 1   खाता संख्या : 00867

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
सीताराम बिल्डस 39 सुथराशाही / . / . मु0नगर द्वारा पार्टनर / . / . अमन बंसल पुत्र अजय बंसल / . / . नि.56 इमामबाडा प्रेमपुरी / . / . श्री सिद्वी विनायक बिल्डस 39 / . / . सुथराशाहीमु0नगर द्वारा पार्टनर / . / . अमन बसंल पुत्र अजय बंसल नि. / . / . 36 इमामबाडा प्रेमपुरी मु0नगर / . / .	54	0.9250	1423फ0- आज्ञानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मु0नगर द्वारा वाद स0 T2016095511456/ 16धारा-80उ0प्र0राजस्व सहिता -2006 मौजा शेरनगर परगना मु0नगर श्री सिद्वि विनायक बिल्डर्स बनाम सरकार निर्णितदि0 23-5-16 को निर्णित कि या है जिसके अन्तर्गत ग्राम शेरनगर के खाता स0 844 के ख0न0 49/ 0.3690, 51/0.3215 है0 कु ल 2 किते /0.6905 है0ल0 34.10/- व खाता स0 881 के ख0न0 54/0.6166 है0ल0 30.50/- व खाता स0520 के ख0न0 42/2/0.3410 है0ल016.85/- व खाता स0 347 के ख0न0 10/1/0.3390 है0ल0 16.75/- को उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 80 के अकृ षिक घोषित कि या गया है । (150/204) ह0र0का0 27-5-16	
योग	1	0.9250		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अघतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्वरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.